

अनुमति की शर्तें ।

- (i) लघु भवन/मुखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक राजकीय व्यक्तित्व या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) लघु भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नदश के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

श्रीमती शिल्पी कौशल आवासीय प्रोजेक्ट

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 234 दिनांक 30/12/2020

प्रार्थीजन श्रीमती शिल्पी कौशल एवं श्रीमती मंदा जी

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश कर स्वनिर्धारण राशि रूपये 12500/- जमा करिये रसीद संख्या 9062/7316, 7317 दिनांक 30/12/2020 को जमा करा दी है ।

P.No = 04 शिल्पी कौशल आवासीय प्रोजेक्ट
श्रमसंख्या संख्या 12/1

दिनांक 30/12/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

श्रीमती
आवासीय

Received

8

(शुकोल का) 12/1

01/01/2021

9784000561